न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 7/2019 दायरा दिनांक : 09.01.2019

उनवान

1— हुकमचंद पुत्र छोटूलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीकलां

2— मूलचंद पुत्र छोटूलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामभरोसी बाई पुत्री किशनलाल पत्नी गिर्राज, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बमोरीकलां हाल निवासी फतेहपुर, जिला बारां

2— प्रेमशंकर पुत्र कस्तूरचंद, जाति धाकड़, निवासी बमोरीकलां

3— गोबरीबाई पुत्री कस्तूरचंद पत्नी हरिशंकर, जाति धाकड़, निवासी बमोरीकलां हाल निवासी बडोदा, जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश)

4— गीता पुत्री कस्तूरचंद पत्नी रामचरण, जाति धाकड़, निवासी बमोरीकलां हाल निवासी बडोदा जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश)

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री योगेश गूर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं.1 की ओर से

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय

दिनांक : 03.08.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, मांगरोल जिला बारां के प्रकरण संख्या – 34/2018 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.12.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि वाके माल बमोरीकलां, तहसील मांगरोल सम्वत 2073–2076 में स्थित खाता संख्या नयी 552 पुराना 503 की खसरा नम्बर 282 रकबा 3.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 1018/2067 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 1908 रकबा 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 1909 रकबा 1.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2222 रकबा 0.51 हेक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 7.24 हेक्टर स्थित है, जो विवादित आराजी है । विवादित आराजियात वादिनी व प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की आराजी है जिसमें वादिनी रामभरोसी बाई का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी प्रेमशंकर, गोबरी बाई व गीता का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी हुकुमचंद व मूलचन्द का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और अपने अपने हिस्सेनुसार आराजी पर काश्त कर रहे हैं । वादिनी का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा नियत है लेकिन प्रतिवादी कम 1 लगायत 5

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(ग्रे. II)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादिनी के हिस्सेनुसार आराजी पर काश्त करने में दखल–अन्दाजी करते हैं और महिला होने के कारण वादिनी के कब्जे काश्त में दखल देते हैं। विवादित आराजी शामलाती होने से प्रतिवादीगण वादिनी के कब्जे काश्त को लेकर विवाद करते हैं जिस कारण वादिनी प्रतिवादीगण के साथ शामिल खाता नहीं रखना चाहती है । अतः वादिनी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वाके माल बमोरीकलां में स्थित खाता संख्या 552 की खसरा नम्बर 282 रकबा 3.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 1018/2067 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 1908 रकबा 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 1909 रकबा 1.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2222 रकबा 0.51 हेक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 7.24 हेक्टर में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी वादिनी के 1/3 हिस्से को प्रतिवादीगण के खाते से विभाजन किया जाकर वादिनी के खाते से विभाजन किया जाकर वादिनी के पृथक खाते दर्ज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में रिकार्ड एवं मौके में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का तन्हा खातेदार घोषित करने हेतु बंटवारा प्रस्ताव पारित किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, जिस पर दिनांक 23.08.2018 को न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी निरस्त कर दी गई और पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.10.2018 नियत की गई दिनांक 24.12.2018 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट का जवाब बंद किया गया । प्रतिवादी कम 1, 2, 3 रेस्पोडेंट 1, 2, 3 को जर्ये सम्मन इत्तला की जाकर वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एवं बयान वादी पक्ष की ओर से 27.12.2018 को पेश होने हेतु आदेशिका पर स्पष्ट अंकन है । दिनांक 27.12.2018 को प्रतिवादी का इकबालिया जवाबदावा तथा उसी दिन वादी की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित कर दिया गया, जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विरूद्ध होने से तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलांट को जवाब का अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा जो प्रार्थना की गई कि वादग्रस्त आराजी में 1/3, 1/3 अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी की प्रारम्भिक डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई थी जबकि उक्त पत्रावली में कस्तूरचंद के वारिसान प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 4 का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इनके पिता कस्तूरचंद मध्यप्रदेश के बडोदा जिला श्योपुर में सूक्खा जी के यहां गोद चले गये थे जब कस्तूरचंद का ही उक्त आराजी पर कोई हक नहीं है तो उनके वारिसान का हक वादग्रस्त आराजी पर कैसे हो सकता है । कस्तूरचंद ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी को रेस्पोडेंट कम 1 के पिता किशनलाल तथा रामगोपाल को संभला दी थी, जब से ही उक्त दोनों का तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिसान का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है । रेस्पोडेंट कम 1 के मन में बदनियति आ जाने तथा राजस्व रिकार्ड में कस्तूरचंद का नाम अंकित होने से मिलीभगत कर उक्त अपीलाधीन दावे का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवाया है ,जो विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी ए)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.12.2018 अपास्त की जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांटगण को जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य लिया जाकर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करें ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रेमशंकर, गोबरी बाई व गीता के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई जो अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 22.05.2018 से जाहिर होता है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 21.06.2018, 23.08.2018, 25.10.2018 जवाब व तलबी में चल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय की आर्डर शीट दिनांक 24.12.2018 में अंकित है कि "आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/ प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित। जवाब आज भी पेश नहीं किया। अतः अवसर जवाब प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बन्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को जर्ये सम्मन इत्तला की जाकर वास्ते जवाब प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 हेतु एवं बयान वादी पक्ष की ओर से दिनांक 27.12.2018 को पेश हो।" अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 27.12.2018 में अंकित है कि "आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया मय असल वादिया उपस्थित। बयान वादिया हल्फिया कराये गये जो शा. फा. है । प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 मय जवाबदावा इकबालिया जर्ये वकालतन उपस्थित। जवाब शा. फा. किया गया और उसी दिन निर्णय पारित कर दिया, जिससे जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य एवं जवाब पेश करने

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का उचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.12.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य एवं मुताबिक रिकार्ड व वाद पत्र में चाही गई इस्तदुआ अनुसार प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2022 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी ए)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा